भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3131

दिनांक 19.03.2025 को उत्तर देने के लिए

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की गणना करने के लिए क्रियाविधि

3131. **श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) और अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की कुल संख्या में कमी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रहने वाले लोगों की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति का ब्यौरा क्या है और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी की संख्या और प्रतिशत क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग) 2021 में, भारत सरकार ने गरीबी के आकलन हेतु बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) नाम से एक व्यापक सूचकांक विकसित किया जो 12 संकेतकों को शामिल करते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे आयामों में अतिव्यापी अभावों को दर्शाता है। यह कितने लोग गरीब हैं और वे किस हद तक वंचित हैं, दोनों का आकलन करता है। यह गरीबी का आकलन करने के लिए वर्तमान में उपयोग की जा रही एकमात्र पद्धति है। सूचकांक का दूसरा संस्करण 2023 में जारी किया गया था। नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय एमपीआई रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, वर्ष 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में जनसंख्या का अनुपात 24.85% से घटकर 14.96% हो गया, जो दर्शाता है कि इस अवधि के दौरान लगभग 135.5 मिलियन लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। पद्धति सहित विवरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और https://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-08/India-National-Multidimentional-Poverty-Index-2023.pdf पर देखा जा सकता है।

****